

०६ ५  
२६

पत्रावली वास्ते निर्णय आक्रयेय दुई  
वहीय उत्रयपत्र लागि। मने लुगी गयी  
बहस व विधिक प्रकथानो पर मनकिया  
अः पार्थिक आवेडन १३६ स्वीकार मिक  
जागही विस्तृत निर्णय प्रथकाने संघ  
काशा मिलाइ दुई पत्रावली केसस शुका  
लोक मन्बर से कम लोक व विषय  
रफ्तगही

*(Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी दंतारामगढ

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

क्रमांक / रीडर / 2026 / 141

दिनांक :- 8/4/26

## आदेश

प्रार्थी की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम ने प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम को सही करने हेतु "आवेदन रिकार्ड दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गयी। प्रार्थी अर्जन राम व सुखाराम पुत्रगण मांगूराम की ओर से अधिवक्ता पुष्पा चौधरी ने सहमति जाहिर की। तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट में मज में आम में पटवारी हल्का की रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज आदि की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की 136 एल.आर.एक्ट के अनुसरण में ग्राम हरिपुरा प0ह0 लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में खाता संख्या 46, 143 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-


क्र. सं.	ग्राम/प0ह0	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	ग्राम हरिपुरा प0ह0 लोसल	62	चेनाराम पुत्र मांगूराम	चेनाराम उर्फ चांदमल पुत्र मांगूराम

  
(मोनिका सामोर)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ 0K  
दिनांक :- 8/4/26

क्रमांक / रीडर / 2026 / 141  
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ 0K

R-e

